उत्तराखण्ड पेयजल निगम में वैयक्तिक सहायक के पद से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर वेतनमान रू0 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2012–2013 के लिए चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला एजेण्डा नोट :–

शासनादेश संख्या 2231/नौ–2 (12 अधि0)/2001, दिनॉक 07 नवम्बर, 2002 **(पताका–1)** द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 राज्य में लागू किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की गयी है। उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढॉचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002, दिनॉक 12.12.2006 **(पताका–2)** द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढॉचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त ढॉचे के अन्तर्गत आशुलिपिक ग्रेड–2 के 34 पद, आशुलिपिक ग्रेड–1 के 20 पद वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के 10 पद एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 के 04 पद स्वीकृत किये गये हैं।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 555/बोर्ड बैठक, दिनॉक 22.09.2011 **(पताका–3)** के द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के निम्नांकित पदनामों में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किया गया है।

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढॉचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
01.	आशुलिपिक ग्रेड–1 व II	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/–	वैयक्तिक सहायक
02.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/–	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
03.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/–	वैयक्तिक अधिकारी

आशुलिपिक ग्रेड–1 एवं ग्रेड–2 का पदनाम परिवर्तित उपरान्त वैयक्तिक सहायक हो जाने के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2, जिसका परिवर्तित नाम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक किया गया है, के पद पर पदोन्नति की जानी है।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2451/अधि0अनु0/अधि0च0श्रे0कर्म0/19, दिनॉक 08.11.2010 **(पताका–4)** के द्वारा अधिष्ठापित कार्यालयों के मध्य पदों का विभाजन कर प्रख्यापित किया गया है।

वर्तमान में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (पूर्व पदनाम वैयक्तिक सहा0 ग्रेड–2) वेतनमान 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 के **10** पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध **03** वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक कार्यरत हैं। अतः **07** पद रिक्त है। इन रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए उपयुक्त कार्मिकों का चयन किया जाना है।

दिनॉक 11.03.2013 को वैयक्तिक सहायक से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में चयन समिति की दिनॉक 11.03.2013 को बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें चयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि वैयक्तिक सहायकों की अनन्तिम सूची फरवरी, 2013 जो निर्गत की गयी है, उस सूची में अंकित विवरण/आकड़ों पर कोई अंश रिक्त एवं त्रुटि पूर्ण हो या अन्य कोई आपत्ति हो तो, उसका दिनॉक 10.03.2013 तक निराकरण कराते हुए वैयक्तिक सहायकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत होने के पश्चात ही अन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर अगली प्रस्तावित चयन समिति की बैठक में पदोन्नति सम्बन्धी

कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 990/अधि0अनु0अधि0 वै0सहा0/वरि0वै0सहा0/04, दिनाँक 22.03.2013 (पताका–क) वैयक्तिक सहायकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत की गयी है। अतः उक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची फरवरी, 2013 के आधार पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है।

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक की रिक्तियों का विवरण :–

क्र0 सं0	विवरण	कुल	सामान्य	अनु0जाति	अनु0जन जाति
01	स्वीकृत पद	10	08	02	00
02	कार्यरत	03	01	02	00
	रिक्त	**07**	**07**	**00**	**00**
03	दिनॉक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का विवरण	**00**	**00**	**00**	**00**
	योग (कुल रिक्त पद)	**07**	**07**	**00**	**00**

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2/2001 53(1)/2001 दिनॉक 18 जुलाई, 2001 **(पताका–5)** द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षण क्रमशः 19 एवं 4 प्रतिशत है। इस आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पदोन्नतियों में आरक्षण विषयक रोस्टर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001 **(पताका–6)** के द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु पूर्व में रोस्टर निर्गत किया गया था।

वर्तमान में *राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग–2, दिनाँक 05.09.2012 (पताका–7) के द्वारा राज्यधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।*

अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों को सामान्य वर्ग के पदों में समाहित करते हुए वैयक्तिक सहायक (पूर्व नाम वैय0सहा0 ग्रेड–2) के पद से वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।

अतः वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (पूर्व पदनाम वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2) के कुल स्वीकृत **10** पदों के सापेक्ष सामान्य संवर्ग का **01** कार्मिक तथा अनुसूचित जाति के **02** कार्मिक कार्यरत हैं। इस प्रकार **03** कार्मिक कार्यरत हैं। अतः कुल 10-03=07 पद रिक्त है।

नियुक्ति का श्रोत :–

संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त शासनादेश संख्या 457/उन्तीस(1)/2010–(35अधि0)/07, दिनॉक 17.05.2010 के द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 अनुमोदित की गयी है, जो प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1088/प्रशासनिक अनुभाग – प्रबन्ध निदेशक आदेश/12, दिनॉक 21.05.2010 **(पताका–8)** के द्वारा प्रसारित की गयी है। अतः उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के अधीन प्रश्नगत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी है।

अतः उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 परिशिष्ट–(2) आशुलिपिक संवर्ग के क्रमांक–03 **(पताका–9)** के अनुरूप मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड–1 (वर्तमान पद वैयक्तिक सहायक) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अथवा इस संवर्ग

में कुल 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 (वर्तमान पदनाम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) पदोन्नति किये जाने का प्राविधान है।

वरिष्ठता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियो की सूची :–

राज्य अधीन सेवा में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1194/42–1–2000–13/15/91, दिनॉक 19 मई, 2001 **(पताका–10)** के प्रस्तर–5 में उल्लेखित श्रेष्ठता (मैरिट) के आधार पर आयोजित चयनों के लिए, चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथासम्भव तीन गुना परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा "अनुपयुक्तों को छोड़ कर ज्येष्ठता" मापदण्ड पर आधारित चयनों के लिए निम्नलिखित गुणांक में ज्येष्ठता पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची में रखे जाने की नियमों में व्यवस्था हैं, जिसके अनुरूप ही पात्रता सूची तैयार की गई है।

(1) 1 से 5 रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम 5
(2) 5 से अधिक रिक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या का डेढ़गना किन्तु कम से कम 10

उक्तानुसार वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 (वर्तमान पदनाम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु आशुलिपिक ग्रेड–1 एवं आशुलिपिक ग्रेड–2 (वर्तमान पदनाम वैयक्तिक सहायक) से सम्बन्धित अभिलेख निम्नानुसार है :–

(क) **वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची (पताका–11)।**
(ख) **वैयक्तिक सहायकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची (पताका–12)।**
(ग) **वैयक्तिक सहायकों की कार्यरत सूची (पताका–13)।**
(घ) **वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की कार्यरत सूची (पताका–14)।**
(ङ) **वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (पताका–15)।**
(च) **वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों का सेवा विवरण (पताका–16)।**
(छ) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 जो उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 64/उन्तीस(1)/2012–(44 अधि0)/2005, दिनाँक 01.01.2013 के द्वारा निर्गत है तथा प्रधान कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 314/ प्रशा0अनु0–अधि0 सामान्य/04, दिनाँक 28.01.2013 **(पताका–17)** के द्वारा प्रसारित किया गया है, के अनुसार पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :–

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली, 2010 के विनियम–18 पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया है :–

18 (1) – सेवा में लिपिकीय सेवा में पदोन्नति के सभी पदों पर भर्ती हेतु एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :–

(एक) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), देहरादून – अध्यक्ष
(दो) महाप्रबन्धक (भूजल एवं सर्वेक्षण), देहरादून – सदस्य
(तीन) महाप्रबन्धक (प्रशासन), देहरादून – सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), देहरादून – सदस्य सचिव

(पांच) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई – सदस्य अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़ी जाति से कोई अधिकारी नामित किया जायेगा जो अधिशासी अभियन्ता के पद से कम न हो अतिरिक्त सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

18 (2) :– नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और पदोन्नति हेतु विचाराधीन कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं एवं उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों, जो उचित समझे जायें के साथ चयन समिति के समक्ष प्रोन्नति पर विचार हेतु रखेगा।

18 (3) :– चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और गुणावगुण के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों का चयन करेगी।

18 (4) :– चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे अनुमोदन हेतु विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

पदोन्नति के लिए मापदण्ड :–

सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मापदण्ड अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता है।

टिप्पणी :–

1. चयन समिति की बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम अनिवार्य है।
2. चयन समिति उन सभी अभ्यर्थियों, जो पदोन्नति के पात्र हैं, के मामले में उनके गोपनीय प्रतिवेदन तथा ज्येष्ठता सूची में उनके स्थान को ध्यान में रखते हुए उच्च पद जिसके लिए वह अभ्यर्थी हैं, पर नियुक्ति हेतु विचार करेंगे।
3. चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा इस सूची के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्तियाँ की जायेगी। यह सूची चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत (दिनॉक 01.07.2012 से 30.06.2013 तक) मान्य होगी।

उल्लेखनीय है कि विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनॉक 08.07.2009 **(पताका–18)** में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिथि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में ''अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली–2009'' को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनॉक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है।

गोपनीय प्रतिवेदन का संकलन :–

पात्र अभ्यर्थियों के पिछले 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रविष्टियों का विवरण संलग्न है **(पताका–19)** मूल चरित्र पंजिकायें एवं अन्य सुसंगत अभिलेख चयन समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

विधि एवं शिकायत अनुभाग का संकलन :–

पात्र अभ्यर्थियों के विधि एवं शिकायत अनुभाग से सम्बन्धित सूचना **(पताका–20)**।

चयन वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (पूर्व पदनाम वै0सहा0 ग्रेड–2) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनाँक 02/04/2013 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002, दिनॉक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त ढाँचे के अन्तर्गत आशुलिपिक ग्रेड–2 के 34 पद, आशुलिपिक ग्रेड–1 के 20 पद वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के 10 पद एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 के 04 पद स्वीकृत किये गये हैं।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 555/बोर्ड बैठक, दिनाँक 22.09.2011 के द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के निम्नांकित पदनामों में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किया गया है।

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढाँचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
01.	आशुलिपिक ग्रेड–1 व II	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/–	वैयक्तिक सहायक
02.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/–	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
03.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/–	वैयक्तिक अधिकारी

आशुलिपिक ग्रेड–1 एवं ग्रेड–2 का पदनाम परिवर्तित उपरान्त वैयक्तिक सहायक हो जाने के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2, जिसका परिवर्तित नाम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक किया गया है, के पद पर पदोन्नति की जानी है।

इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनाँक 11.03.2013 को चयन समिति की बैठक आहूत की गयी थी। परन्तु पूर्व में चूँकि वैयक्तिक सहायक से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेखों में कार्यालय ज्ञाप संख्या 694/अधि0अनु0 अधि0वै0सहा0/वरि0वै0सहा/02, दिनाँक 27.02.2013 के द्वारा वैयक्तिक सहायकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची–फरवरी, 2013 में निर्गत की गयी है, उस सूची में अंकित विवरण/आंकड़ों पर कोई अंश रिक्त एवं त्रुटि पूर्ण हो या अन्य कोई आपत्ति हो तो, उसे दिनाँक 10.03.2013 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा दिनाँक 10.03.2013 तक प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कराते हुए वैयक्तिक सहायकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची निर्गत होने के पश्चात ही अन्तिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की अगली बैठक प्रस्तावित करने हेतु निर्णय लिया गया था।

क्रमशः............2

प्रधान कार्यालय के ज्ञाप संख्या 990/अधि0अनु0अधि0वै0सहा0/वरि0वै0सहा0/04, दिनाँक 22.03.2013 द्वारा वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक की वरिष्ठता सूची (फरवरी, 2013) निर्गत की गयी है, जिसके अनुक्रम में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में गठित चयन समिति की बैठक दिनाँक 02/04/2013 को आहूत की गयी, जिसमें चयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र सं0 34/मु0अ0(मु0) गो0अधि0 सामान्य/13, दिनॉक 02/04/2013 द्वारा चयन समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री योगेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उ0पे0 निगम, देहरादून। – **अध्यक्ष**
2. श्री योगेन्द्र सिंह, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उ0पे0 निगम, देहरादून। – **सदस्य**
3. श्री प्रेम सिंह, महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण), उ0पे0 निगम, देहरादून। – **सदस्य**
4. श्री एस0के0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक), उ0पे0 निगम, देहरादून। – **सदस्य सचिव**

चयन समिति के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित अभिलेखों के साथ एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया :–

(क) वैयक्तिक सहायकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची।
(ख) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की अनन्तिम वरिष्ठता।
(ग) वैयक्तिक सहायकों की कार्यरत सूची।
(घ) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की कार्यरत सूची।
(ड़) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची।
(च) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों का सेवा विवरण।
(छ) पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के गत 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि एवं मूल्यांकन का सार।
(ज) पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के विरूद्ध विधि एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक जॉच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धित विवरण।
(झ) वैयक्तिक सहायक/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक की अन्तिम वरिष्ठता सूची–2013, कार्यालय ज्ञाप संख्या 990/अधि0अनु0अधि0वै0सहा0/वरि0वै0सहा0/04, दिनॉक 22.03.2013

1. उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लिपिकीय सेवा विनियमावली–2010 एवं इसके अन्तर्गत परिशिष्ट–(दो) आशुलिपिक संवर्ग से सम्बन्धित विवरण।
2. ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से सम्बन्धित उत्तरांखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 479/XXX(2)/2009–3(1)/2007, दिनॉक 08 जुलाई 2009
3. आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश सं0 1144/कार्मिक–2/2001–53 (1)/2001 दिनॉक 18.07.2001

4. पदोन्नतियों में आरक्षण नीति के रोस्टर से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक–2/2001 दिनॉक 31.08.2001

5. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली, 2013 जो उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 64/उन्तीस(1)/2012–(44 अधि0)/2005, दिनॉंक 01.01.2013 के द्वारा निर्गत है तथा प्रधान कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या 314/प्रशा0अनु0–अधि0 सामान्य/04, दिनॉंक 28.01.2013 के द्वारा प्रसारित किया गया है, के अनुसार पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 902/XXX(2)/2012–55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग–2, दिनॉंक 05.09.2012 के आलोक में की जानी है।

1. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी:–

(क) पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में निम्नलिखित वैयक्तिक सहायक (पूर्व पदनाम आशुलिपिक ग्रेड–1 एवं ग्रेड–2) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर चयन हेतु उपयुक्त पाये गये एवं पदोन्नति हेतु संस्तुति की गई।

01. श्री राम सिंह सामन्त
02. श्री पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल
03. श्री कैलाश चन्द्र जोशी
04. श्री खुशाल सिंह कन्याल
05. श्री आनन्द प्रसाद जोशी
06. श्री हेमचन्द्र काण्डपाल
07. श्री मोहन चन्द्र पाठक

2. **पात्रता सूची के वरिष्ठता क्रम में 07 पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत् पैनल के अन्तर्गत निम्नानुसार वैयक्तिक सहायकों को वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर उपयुक्त पाया गया एवं पदोन्नति हेतु चयन किये जाने की संस्तुति की गयी :–**

08. श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता
09. श्री केदार दत्त पंत

उक्त चयन वर्ष 2012–2013 (दिनॉक 01.07.2012 से 30.06.2013) तक मान्य होगा।

2/4/13
(एस0के0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक)
एवं सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

2/4/13
(प्रेम सिंह)
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)
एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

02/4/13
(योगेन्द्र सिंह)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)
एवं सदस्य
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

02/4/13
(योगेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0) एवं
अध्यक्ष चयन समिति,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया पत्रावली के दाहिनी ओर वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु दिनॉक 02/04/2013 को आहूत चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वैयक्तिक सहायक से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने हैं।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06–2 (92 अधि0)/2002, दिनॉक 12.12.2006 द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त ढाँचे के अन्तर्गत आशुलिपिक ग्रेड–2 के 34 पद, आशुलिपिक ग्रेड–1 के 20 पद वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के 10 पद एवं वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1 के 04 पद स्वीकृत किये गये हैं।

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 555/बोर्ड बैठक, दिनॉक 22.09.2011 के द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के निम्नांकित पदनामों में परिवर्तन करके उनके सम्मुख अंकित पदनामों को प्रतिस्थापित किया गया है।

क्र0 सं0	वर्तमान पदनाम	त्रिस्तरीय ढाँचे के अनुसार वेतनमान	प्रतिस्थापित पदनाम
01.	आशुलिपिक ग्रेड–1 व II	वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/–	वैयक्तिक सहायक
02.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/–	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
03.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/–	वैयक्तिक अधिकारी

आशुलिपिक ग्रेड–1 एवं ग्रेड–2 का पदनाम परिवर्तित उपरान्त वैयक्तिक सहायक हो जाने के फलस्वरूप वैयक्तिक सहायक की पदोन्नति वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2, जिसका परिवर्तित नाम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक किया गया है, पर पदोन्नति हेतु संस्तुति की गयी है।

आशुलिपिक संवर्ग के संरचनात्मक ढॉचें में स्वीकृत पदों के अन्तर्गत उक्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार वर्तमान में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के 10 पद स्वीकृत हैं। इन 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 03 वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक कार्यरत हैं तथा 07 पद रिक्त हैं। चयन समिति द्वारा दिनॉक 02/04/2013 को आहूत बैठक में निम्नानुसार 07 वैयक्तिक सहायकों की पदोन्नति वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर की जाने की संस्तुति की गयी है।

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष वर्तमान में प्रधान कार्यालय, देहरादून में 06 पद तथा मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), पौड़ी में 01 पद रिक्त है। शेष 03 पदों में 01 पद प्रधान कार्यालय, देहरादून, 01 पद मुख्य अभियन्ता (कुमायूँ), नैनीताल एवं 01 पद पर निर्माण मण्डल, देहरादून में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक कार्यरत हैं। अतः रिक्त पदों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्मिकों की पदोन्नति आदेश किये जाने समीचीन होंगे।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01.	श्री राम सिंह सामन्त	श्री नैन सिंह सामन्त	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
02.	श्री पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल	श्री बालकृष्ण बड़थ्वाल	निर्माण शाखा, कोटद्वार	मुख्य अभि0 (गढ़वाल), पौड़ी	जनहित
03.	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	श्री ठाकुर दत्त जोशी	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
04.	श्री खुशाल सिंह कन्याल	श्री पूरन सिंह कन्याल	यॉत्रिक मण्डल, हल्द्वानी	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
05.	श्री आनन्द प्रसाद जोशी	श्री राम प्रसाद जोशी	प्रधान कार्यालय, देहरादून	प्रधान कार्यालय, देहरादून	स्थानीय
06.	श्री हेमचन्द्र काण्डपाल	श्री विष्णु दत्त काण्डपाल	निर्माण शाखा, उधमसिंहनगर	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
07.	श्री मोहन चन्द्र पाठक	श्री शंकर दत्त पाठक	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित

टिप्पणी कॉलम–06 में इंगित जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय की गयी है, उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

अतः चयन समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर उपरोक्त 07 वैयक्तिक सहायकों की वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहेंगे।

3/4/13

महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

3/4/13

मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रबन्ध निदेशक

अनुमोदनार्थ प्रेषित

03/4/13

प्रबन्ध निदेशक

अनुमोदित

04/04/13

मुख्य अभि0 (मुख्या0)

कार्यालय – : 2678078
: 2672404

फैक्स– : 0135&2672337
ई–मेल : upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11– मोहिनी रोड, देहरादून 248001

पत्रांक 37 / मु0अ0(मु0) अधिष्ठान सामान्य / 13 दिनांक 04/04/13

// कार्यालय–ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की पदोन्नति वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800 + ग्रेड–पे 4200 में करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती किये जाने वाले कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	04	05	06
01.	श्री राम सिंह सामन्त	श्री नैन सिंह सामन्त	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
02.	श्री पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल	श्री बालकृष्ण बड़थ्वाल	निर्माण शाखा, कोटद्वार	मुख्य अभि0 (गढ़वाल), पौड़ी	जनहित
03.	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	श्री ठाकुर दत्त जोशी	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
04.	श्री खुशाल सिंह कन्याल	श्री पूरन सिंह कन्याल	यॉत्रिक मण्डल, हल्द्वानी	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
05.	श्री आनन्द प्रसाद जोशी	श्री राम प्रसाद जोशी	प्रधान कार्यालय, देहरादून	प्रधान कार्यालय, देहरादून	स्थानीय
06.	श्री हेमचन्द्र काण्डपाल	श्री विष्णु दत्त काण्डपाल	निर्माण शाखा, उधमसिंहनगर	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित
07.	श्री मोहन चन्द्र पाठक	श्री शंकर दत्त पाठक	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ	प्रधान कार्यालय, देहरादून	जनहित

टिप्पणी कॉलम–06 में इंगित जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय की गयी है, उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा जिन कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती जनहित में की गयी है, उन्हें नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण काल देय होगा।

उक्त पदोन्नत कार्मिक को अपने तैनाती कार्यालय पर दिनॉक 12.04.2013 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं है, उक्त दिनॉक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/–
(योगेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

4/4/13
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)